

न्यायालय-नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।

—:: आदेश ::—

नी0प0मु0सं0-09/18-19

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
सियालजोरी शाखा, बोकारो

बनाम्

गोरा चाँद कर्मकार
इलोकट्रो स्टील, पो0-योगिडीह,
थाना-सियालजोरी, बोकारो।

12.08.2024 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सियालजोरी शाखा, बोकारो के द्वारा कुल राशि-41886.00 रु0 देनदार गोरा चाँद कर्मकार, इलोकट्रो स्टील पो0-योगिडीह, थाना-सियालजोरी, बोकारो से वसूली करने हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु अधियाचना की गई थी। तदुपरांत उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली हेतु न्यायालय के द्वारा देनदार के विरुद्ध नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस तामिला प्रतिवेदन कार्यालय को प्राप्त है। इस वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा 05.07.2024, 08.07.2024, 19.07.2024 एवं 02.08.2024 को तिथि निर्धारित की गई थी। परन्तु देनदार एवं अधियाची पदाधिकारी दोनों ही उक्त तिथियों में न्यायालय में अनुपस्थित थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अधियाची पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है। इस कारण उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली की दिशा में कोई भी अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त के आलोक में अधियाची पदाधिकारी/प्रथम पक्ष के द्वारा अधियाचित राशि वसूली की दिशा में अभिरुचि नहीं लेने के कारण बिहार एवं उड़ीसा लोक मॉग वसूली अधिनियम 1914 की धारा-53(II) के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-

अंचल अधिकारी-सह-
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ह0/-

अंचल अधिकारी-सह-
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ज्ञापांक...1271(A)/चन्दनकियारी, दिनांक...14/08/24...

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सियालजोरी शाखा, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


12/08/24

अंचल अधिकारी-सह-
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।